प्रेषक,

निदेशक, पंचायती राज,
उत्तर प्रदेश।

प्रथम आवंटन
आयोजनेत्तर–अनुदान सं0–14
तेरह अंको का कोड–2515008001005

सेवा मे,

समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

संख्या 1/44 /2011–1/13 /2011 : लखनऊ: दिनांक 15 अप्रैल, 2011

विषयः–चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 की अनुदान संख्या–14 के अधीन लेखाशीर्षक 2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–800–अन्य व्यय–आयोजनेत्तर–1005–क्षेत्र पंचायतों के अधीन स्थानान्तरित स्टाफ (ग्राम पंचायत अधिकारी/सहायक विकास अधिकारी पंचायत) अधिष्ठान के अन्तर्गत व्यय हेतु धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपयुर्क्त विषयक प्रमुख सचिव, पंचायतीराज अनुभाग–3 उ0प्र0 शासन के शासनादेश सं0–1107/33–3–2011–100(41)/2010 दिनांक 8 अप्रैल, 2011 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2011–12 के लिये प्राविधानित धनराशि में से चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 में अधिष्ठान में व्यय हेतु आवश्यक धनराशि संलग्न तालिका के अनुसार **₹ 1302972572/– (₹ एक अरब तीस करोड उनतीस लाख बहत्तर हजार पांच सौ बहत्तर मात्र)** आवंटित की जाती है।

यह धनराशि निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन आवंटित की जाती है:–

1– यह ध्यान रहे कि धनराशि का आवंटन मात्र ही किसी भी प्रकार के व्यय को करने का अधिकार नहीं देता है। आहरण के पूर्व अन्य संगत नियमों/निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय।

2– **वेतन भत्ते आदि का आहरण सृजित पद के सापेक्ष ही किया जाय।**

3– आवंटित धनराशि का व्यय किसी ऐसे मद में कदापि न किया जाय जिसके लिये वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा बजट मैनुअल के अन्तर्गत शासन या सक्षम अधिकारी की स्वीकृति व सहमति आवश्यक है। ऐसे व्यय शासन/सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति व सहमति प्राप्ति करने के उपरान्त ही किया जाये। कृपया सुनिश्चित किया जाये कि धनराशियों का व्यय प्रतिमाह कुल धनराशि का 1/12 भाग ही हो यदि किसी माह में 1/12 भाग से अधिक की धनराशि के व्यय का औचित्य पाया जाय तो उस धनराशि के व्यय करने से पूर्व निदेशालय की अनुमति प्राप्त किया जाय। आपको पुनः स्पष्ट किया जाता है कि अतिरिक्त धनराशि की प्राप्ति की प्रत्याशा में अनाधिकृत एंव अधिक व्यय कदापि न किया जाय। व्यय आवंटित धनराशि तक ही सीमित रखा जाय। किसी प्रकार के अधिक व्यय के लिये अथवा अनाधिकृत व्यय के लिये आहरण एवं वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगें। बजट की किसी भी ऐसी प्राथमिक इकाईयां लेखाशीर्षक के सापेक्ष व्यय न किया जाये जिसके लिये बजट में प्राविधान नहीं है।

4– नियमानुसार अनुमन्य धनराशि ही वेतन मद में आहरित की जाये। गलत तथा अधिक आहरण के लिये आहरण वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगें।

5– कोषागार से आहरित धनराशि का विवरण प्रत्येक माह की अगली 05 तरीख तक निर्धारित प्रपत्र बी0एम0–4 में अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाये। बी0एम0–4 पर बने सभी कालम अवश्य भरे जाय तथा विवरण में कोषागार वाउचर संख्या तथा दिनांक एवं धनराशि का उल्लेख अवश्य किया जाये।

6– यदि बी0एम0–4 में सूचना नही भेजी जाती है तो गबन आदि की कोई भी घटना होने पर संबंधित आहरण वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप सीधे जिम्मेदार होगा।

7– आहरण वितरण अधिकारी को बजट अगली बार तभी आवंटित किया जायेगा जब उपयुर्क्तानुसार बी0एम0–4 पर सूचना तथा अतिरिक्त बजट का औचित्य प्राप्त हो जाये।

8– यदि किसी मद में धनराशि समर्पित की जानी है तो संबंधित कोषागार का प्रमाण–पत्र नोट कराना आवश्यक होगा।

9– एक बार धनराशि समर्पित किये जाने के बाद नियमानुसार निदेशक की लिखित स्वीकृति के बिना उस धनराशि को कोषागार से आहरित न किया जाये। अतः यदि समर्पण के बाद बिना अनुमति के कोई धनराशि

कोषागार से आहरित की जाती है तो उसके लिये आहरण वितरण अधिकारी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही की जायेगी।

10— यह भी सुनिश्चित कर लिया जाये कि आहरित धनराशि के प्रत्येक बिल पर सही मुख्य, उप मुख्य, लघु, विस्तृत लेखाशीर्षक अवश्य अंकित किया जाये, ताकि महालेखाकार कार्यालय में सही बुंकिंग में बाधा न हो तथा प्रत्येक बिल के ऊपर दाहिनी ओर लाल स्याही से आयोजनेत्तर शब्द अवश्य अंकित किया जाये जिसके लिये रबर की मोहर अधिक श्रेयष्कर होगी।

11— वर्तमान स्थिति में शासकीय व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है, विशेष रूप से यात्रा व्यय,कार्यालय व्यय ,पेट्रोल तथा टेलीफोन पर व्यय में मितव्ययता अवश्य बरती जाये। अतः व्यय करते समय मितव्ययता के संबंध में वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या सी0ए0—934/दस—2008—मित—1/2007 दिनांक 2—9—2008 और समय—समय पर मितव्ययिता विषयक जारी किये गये शासनादेशों का विशेष रूप से पालन किया जाये ताकि अपव्यय रोका जा सके।

12— व्यय के संबंध में वित्त (आय—व्ययक), अनुभाग—1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या—बी—1 —901/दस—2011—231/11, दिनांक 21 मार्च,2011 में उल्लिखित निर्देशों का कड़ाई से अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

13— उपयुर्क्त पर होने वाला व्यय अनुदान संख्या—14 के अधीन लेखाशीर्षक 2515—अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम—800—अन्य व्यय—आयोजनेत्तर—1005—क्षेत्र पंचायतों के अधीन स्थानान्तरित स्टाफ (ग्राम पंचायत अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी पंचायत) के अन्तर्गत सुसंगत मानक मदो के नामे डाला जायेगा।

14— संबंधित आहरण वितरण अधिकारी आवंटित धनराशि के व्यय का लेखा जोखा रखेंगें तथा व्यय की सूचना निम्नलिखित तिथि तक इस कार्यालय को निश्चित रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें।

1— कोषागार से आहरित धनराशि का मासिक विवरण बी0एम0—4 पर तथा कोषागार द्वारा उपलब्ध कराया गया रिकेन्सिलियेशन स्टेटमेंन्ट आगामी माह की 5 तारीख तक।

2— प्रारम्भिक व्ययाधिक्य तथा बचत विवरण दिनांक 30—9—2011 तक

3— व्ययाधिक्य तथा बचत का अन्तिम विवरण दिनांक 15—1—2012 तक

4— वर्ष 2011—12 में समर्पण यदि कोई हो तो की सूचना दिनांक 5—2—2012 तक

प्रमाणित किया जाता है कि यह आवंटन निदेशालय के आवंटन रजिस्टर के पृष्ठ स0—57 पर अंकित है।

संलग्नक— उक्तवत्।

भवदीय,

(डी0एस0 श्रीवास्तव)
निदेशक,
पंचायतीराज, उत्तर प्रदेश।

संख्याः 1/44 /2011 —उक्त दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1—समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2—विशेष सचिव, पंचायतीराज अनुभाग—3,उत्तर प्रदेश शासन।
3—उपसचिव वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग—2 उ0प्र0शासन।
4—महालेखाकार सी0पी0 सी0—2 उ0प्र0 इलाहाबाद।
5—महालेखाकार लेखा एवं हकदारी प्रथम उ0प्र0 इलाहाबाद।
6—वरिष्ठ उपमहालेखाकार/स्थानीय निकाय (लेखा परीक्षा एवं लेखा), चौथा तल, 15—ए, महर्षि दयानन्द मार्ग, सत्यनिष्ठा भवन, उ0प्र0 इलाहाबाद।
7—तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0 नवां तल बापू भवन लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि, उक्त आवंटन विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु।

(रमेश चन्द्र राय)
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी,
पंचायतीराज, उत्तर प्रदेश।

letter (05) GPA-ADOP First allotment

पत्र सं0–1/44/2011–1/13/2011 दिनांक– 15अप्रैल, 2011 का संलग्नक

वर्ष 2011–12

अनुदान सं0–14 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–800–अन्य व्यय–आयोजनेत्तर–1005–क्षेत्र पंचायतों के अधीन स्थानान्तरित स्टाफ (ग्राम पंचायत अधिकारी/सहा0वि0अधिकारी पंचायत) संबंधी अधिष्ठान हेतु धनराशि का आवंटन

(धनराशि ₹ में)

क्र0सं0	जनपद का नाम	01–वेतन	03–महगाई भत्ता	06–अन्य भत्ता	योग	कोषागार का प्रगामी योग
1	2	3	4	5	6	7
1	मेरठ	10752614	4838676	734403	16325693	16325693
2	बागपत	4122416	1855087	281561	6259064	6259064
3	गाजियाबाद	11337602	5101920	774358	17213880	17213880
4	गौतमबुद्धनगर	3105033	1397264	212073	4714370	4714370
5	बुलन्दशहर	10580396	4761178	722641	16064215	16064215
6	सहारनपुर	12346856	5556085	843290	18746231	18746231
7	मुजफ्फरनगर	11880300	5346135	811424	18037859	18037859
8	आगरा	11935368	5370915	815185	18121468	18121468
9	अलीगढ़	11816404	5317381	807060	17940845	17940845
10	हाथरस	7728792	3477956	527876	11734624	11734624
11	एटा	6119560	2753802	417965	9291327	9291327
12	मैनपुरी	6063704	2728666	414150	9206520	9206520
13	मथुरा	9074160	4083372	619765	13777297	13777297
14	फिरोजाबाद	7431879	3344345	507597	11283821	11283821
15	बरेली	12059095	5426592	823636	18309323	18309323
16	बदायू	10585232	4763354	722971	16071557	16071557
17	पीलीभीत	5372324	2417545	366929	8156798	8156798
18	शाहजहापुर	8504034	3826815	580825	12911674	12911674
19	मुरादाबाद	10151368	4568115	693338	15412821	15412821
20	ज्योतिबाफूलेनगर	4619560	2078802	315515	7013877	7013877
21	रामपुर	5805785	2612603	396535	8814923	8814923
22	बिजनौर	13577983	6110092	927376	20615451	20615451
23	लखनऊ	11975737	5389081	817942	18182760	18182760
24	रायबरेली	18222400	8200080	1244589	27667069	27667069
25	हरदोई	20950260	9427617	1430902	31808779	31808779
26	उन्नाव	14691970	6611386	1003461	22306817	22306817
27	सीतापुर	17935293	8070881	1224980	27231154	27231154
28	खीरी	17262862	7768287	1179053	26210202	26210202
29	फैजाबाद	9881251	4446562	674889	15002702	15002702
30	अम्बेडकर नगर	10668909	4801009	728686	16198604	16198604
31	सुल्तानपुर	10493353	4722008	716696	15932057	15932057
32	बाराबंकी	18848925	8482016	1287381	28618322	28618322
33	गोण्डा	17610978	7924940	1202829	26738747	26738747
34	बलरामपुर	9877097	4444693	674605	14996395	14996395
35	बहराइच	16427206	7392242	1121978	24941426	24941426
36	श्रावस्ती	4233567	1905105	289152	6427824	6427824
37	इलाहाबाद	36486410	16418884	2492021	55397315	55397315
38	कौशाम्बी	9157718	4120973	625472	13904163	13904163
39	फतेहपुर	12750364	5737663	870849	19358876	19358876
40	प्रतापगढ़	25555550	11499997	1745444	38800991	38800991

पत्र सं0–1/44 /2011–1/13/2011 दिनांक– 15 अप्रैल, 2011 का संलग्नक

वर्ष 2011–12

अनुदान सं0–14 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–800–अन्य व्यय–आयोजनेत्तर–1005–क्षेत्र पंचायतों के अधीन स्थानान्तरित स्टाफ (ग्राम पंचायत अधिकारी/सहा0वि0अधिकारी पंचायत) संबंधी अधिष्ठान हेतु धनराशि का आवंटन

(धनराशि ₹ में)

क0सं0	जनपद का नाम	01–वेतन	03–मंहगाई भत्ता	06–अन्य भत्ता	योग	कोषागार का प्रगामी योग
1	2	3	4	5	6	7
41	वाराणसी	13380528	6021237	913890	**20315655**	**20315655**
42	चन्दौली	8633659	3885146	589678	**13108483**	**13108483**
43	गाजीपुर	19582950	8812327	1337515	**29732792**	**29732792**
44	जौनपुर	24959384	11231722	1704725	**37895831**	**37895831**
45	मिर्जापुर	14455061	6504777	987280	**21947118**	**21947118**
46	सोनभद्र	7586048	3413721	518127	**11517896**	**11517896**
47	संतरविदासनगर	11118335	5003250	759382	**16880967**	**16880967**
48	हमीरपुर	4847851	2181532	331108	**7360491**	**7360491**
49	बांदा	8495032	3822764	580210	**12898006**	**12898006**
50	चित्रकूट	4313044	1940869	294580	**6548493**	**6548493**
51	महोबा	4511052	2029973	308104	**6849129**	**6849129**
52	गोरखपुर	23062740	10378233	1575185	**35016158**	**35016158**
53	महाराज गंज	13405342	6032403	915584	**20353329**	**20353329**
54	देवरिया	17950142	8077563	1225994	**27253699**	**27253699**
55	कुशीनगर	12116848	5452581	827580	**18397009**	**18397009**
56	बस्ती	13412979	6035840	916106	**20364925**	**20364925**
57	सन्त कबीर न0	9843892	4429751	672337	**14945980**	**14945980**
58	सिद्धार्थ नगर	12106167	5447775	826851	**18380793**	**18380793**
59	आजमगढ़	19860708	8937318	1356486	**30154512**	**30154512**
60	मऊ	10072967	4532835	687983	**15293785**	**15293785**
61	बलिया	15452317	6953542	1055393	**23461252**	**23461252**
62	कानपुर नगर	11036119	4966253	753766	**16756138**	**16756138**
63	रमाबाई नगर	9272434	4172595	633307	**14078336**	**14078336**
64	फर्रूखाबाद	9554850	4299682	652596	**14507128**	**14507128**
65	कन्नौज	7900596	3555268	539610	**11995474**	**11995474**
66	इटावा	7945056	3575275	542647	**12062978**	**12062978**
67	औरैया	9928670	4467901	678128	**15074699**	**15074699**
68	झांसी	7526086	3386738	514031	**11426855**	**11426855**
69	ललितपुर	4409353	1984208	301158	**6694719**	**6694719**
70	जालौन	8976240	4039308	613077	**13628625**	**13628625**
71	काशीरामनगर	5834684	2625607	398508	**8858799**	**8858799**
72	छत्रपति साहू जी महाराज नगर	28627200	12882240	1955237	**43464677**	**43464677**
	योग	**858178649**	**386180358**	**58613565**	**1302972572**	

(₹ एक अरब तीस करोड उनतीस लाख बहत्तर हजार पांच सौ बहत्तर मात्र)

(रमेश चन्द्र राय)
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी,
पंचायतीराज उ0प्र0।